प्रकरण संख्या 43/2017 साजिद खान व अन्य बनाम जेनुदीन व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.07.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण के पिता शाहबाश खां ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के निजी स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 18 से 24, 85 से 88 कुल किता 11 रकबा 38 बीघा 17 बिस्वा भूमि ग्राम सल्लोपाट, तहसील बागीदौरा में स्थित है। उक्त आराजियात का पट्टा वादी के पिता हबीबुल्ला खां को सेटलमेन्ट विभाग द्वारा पट्टा संख्या 39 दिनांक 01.11.1945 को दिया गया था तथा वादी के पिता को पट्टा लैण्ड रिकार्ड ठिकाना गढ़ी रियासत बांसवाड़ा द्वारा पट्टा संख्या 15407 दिनांक 06.10.1937 को दिया गया था, तब से वादी के पिता एवं उनकी मृत्यु के बाद वादी का कब्जा चला आ रहा है। वादी के परिवार का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूष मेहम्मुद खां का पुत्र हबीबुल्ला खा एवं हबीबुल्ला खां का पुत्र वादी शाहबाश खां है। उक्त आराजियात वादी के खाते चढ़ी जिसका खतौनी डिपार्टमेन्ट संवत् 1945–46 खाता संख्या 39 है। उक्त आराजीयात में से आराजी नंबर 18 से 24 कुल किता 6 रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 30 दिनांक 20.04.1964 से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता शाबुदीन के नाम दर्ज हो गयी एवं शाबुदीन की मृत्यु पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 13.07.1998 से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज हो गयी, जिसके हाल आराजी नंबर वाद पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार होकर कुल किता 11 रकबा 3.1300 हैक्टर है। इसी प्रकार आराजी नंबर 85 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा व 86 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा जरिये नामान्तरकरण संख्या 31 दिनांक 20.04.1964 से प्रतिवादी संख्या 8 के पिता मासुम अली के नाम स्वीकृत हो गया तथा उनकी मृत्यु पश्चात प्रतिवादी संख्या 3 के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 181 दिनांक 09.02.1985 दर्ज हुआ। इसी प्रकार सर्वे नंबर 87 व 88 कुल किता 2 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा जरिये नामान्तरकरण संख्या 32 दिनांक 20.04.1964 से प्रतिवादी संख्या 5 से 7 के पिता मोहम्मद खां के नाम स्वीकृत हो गया तथा उनकी मृत्यु पश्चात नामान्तरकरण संख्या 88 दिनांक 31.07.197[illegible] प्रतिवादी संख्या 5 से	

सत्यमेव जयते
अधिकारी एवं पदेन रजिस्ट्रार राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:58 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

7 के नाम दर्ज हो गयी एवं उनके द्वारा आपसी विभाजन भी करवा लिया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 30, 31, 32 दिनांक 20.04.1964 जो प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के पिता के नाम कब्जे के आधार पर धारा 19 के तहत दर्ज किया गया है, उक्त सारी कार्यवाही आपसी मिली भगत के आधार पर होने से वादी के मुकाबले प्रारम्भ से प्रभाव शून्य है। तत्पश्चात् उनके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण भी शून्य प्रभावी होकर काबिल निरस्ती के हैं। कब्जा विवादित आराजीयात पर आज भी वादी का ही चला आ रहा है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का नाम हटाया जाकर उन्हें जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा बिन्दुवार खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया गया तथा बताया कि प्रतिवादीगण के पिता का कब्जा संवत् 2010 से पूर्व का है इसी कारण धारा 19 के तहत नामान्तरकरण उनके पिता के नाम स्वीकृत हुए हैं एवं उनकी मृत्यु पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 के 8 के नाम भूमि दर्ज हुई है तथा कब्जा भी प्रतिवादीगण का ही चला आ रहा है, वादी का कभी भी कब्जा नहीं रहा। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

प्रतिवादीगण ने जवाबदावे के विशेष कथन में अंकित किया कि वादी ने धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया है, परन्तु पूरे वाद में कहीं भी वाद हेतुक प्रकट नहीं किया है, जिससे वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 (1) सी.पी.सी. के तहत खारिज योग्य है। वादी ने तीन भिन्न नामान्तरकरण क्रमशः 30, 31 व 32 दिनांक 20.04.1964 क्रमशः शाबुद्दीन, मासुम अली व मोहम्मद खां जिनका आपस में कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, परन्तु तीनों के विरूद्ध एक ही वाद प्रस्तुत किया है, जो कुसंयोजन के कारण खारिज योग्य है। वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध म्यूटेशन की अपील संख्या 10/1997 व 11/1997 प्रस्तुत की, जो दिनांक 31.03.1998 को अतिरिक्त कलक्टर बांसवाड़ा द्वारा खारिज कर दी गयी हैं, जिसे वादी ने वाद में अंकित नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि वादी क्लीन हैण्ड ने नहीं आया है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के [illegible] पर कुल 9

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:58 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

तनकियां कायम की गयी एवं तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 29.06.2017 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा दिनांक 06.10.2017 यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह राठौड़ उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। जानकारी होते ही नकले प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. में प्रकरण में बहस होनी थी एवं तत्पश्चात् कायम मुकाम किया जाना था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकिया अपनाये बिना सीधे ही निर्णय पारित कर दिया, जो स्वतः ही निरस्त योग्य है। उक्त प्रकरण में दोनों पक्ष की अधिवक्ताओं की अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई बहस ही नहीं सुनी गयी तथा वादी/अपीलान्ट को अपने बचाव का पर्याप्त अवसर दिये बिना निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिलाया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2010 (1) Page 310, RRT 2019 (1) Page 593, RRT 2011 (...) ...575, RRT 2001 (2) Page 895 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने ... अधिनस्थ न्यायालय ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:58 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकारों को सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRD 2003 Page 223, RRT 2014 (1) Page 376, RRT 2011-12 (Supp.) Page 258, RRT 2011 (2) Page 1170, RRT 2016 (2) Page 1364, RRD 1993 Page 504 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकीवार विवेचन करते हुए तनकी नंबर 1 से 3 जिन्हें साबित करने का भार अपीलान्ट/वादी पर था, वादी/अपीलान्ट के विरूद्ध तथा तनकी नंबर 4 से 8 जिन्हें साबित करने का भार रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण पर था, रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया है। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त विवेचन पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार है। अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस नहीं सुनी गयी है तथा वादी/अपीलान्ट को बचाव का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार बहस के कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा बहस नहीं किये जाने से बहस के अवसर बन्द किये गये हैं, तत्पश्चात् साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–06–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:58 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....

व इजलास .....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

स्व.शाहबाश खान के बजाय साजिद खान, जाति मुसलमान, निवासी सल्लोपाट, हाल झालोद, जिला दाहोद (गुजरात) व अन्य	बनाम	**जेनुदीन पिता शाबुदीन, जाति मुसलमान, निवासी सल्लोपाट, तहसील गागड़तलाई, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**43/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
...**बागीदौरा** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**29**.....**06**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**25**.....माह.....**07**.....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री महेन्द्र सिंह राठौड़**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री जयेन्द्र पुरोहित**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....)....रूपये.. **X**....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**25**.....माह.....**07**.....**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ..... 2. स्टाम्प वकालत नामा 3. इजराय हुक्मनामा .. 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान ...		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:58 IST
Reason: SelfAttested